



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्य प्राप्त
हरावाला, देहरादून - 248001


दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uauinfo4@gmail.com

पत्रांक संख्या: 2127 / उ0आ0वि0 / परीक्षा / 2017

दिनांक : 24.10.2017

यू0ए0पी0एम0टी0-2017 द्वितीय/अंतिम काउन्सिलिंग विज्ञप्ति

1. यू0ए0पी0एम0टी0-2017 की काउन्सिलिंग उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरावाला, देहरादून में आयोजित की जाएगी।
2. यू0ए0पी0एम0टी0-2017 परीक्षा में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अवधि में अपना आनलाईन पंजीकरण नहीं करवाया गया है, उन्हें एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26.10.2017 की प्रातः 09:00 बजे अपराह्न 02:00 बजे तक off-line registration उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरावाला में कराने का अवसर प्रदान किया जाता है।
3. द्वितीय काउन्सिलिंग ही अन्तिम चरण की काउन्सिलिंग होगी तथा काउन्सिलिंग के उपरांत आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को विवरण पुस्तिका पृष्ठ संख्या 08 पर अंकित बिन्दु संख्या 03 (ख) में वर्णित नियमानुसार परिवर्तित (Conversion) किया जाएगा तथा तुरन्त द्वितीय/अंतिम चरण की काउन्सिलिंग द्वारा भरा जाएगा।


सदस्य सचिव
काउन्सिलिंग बोर्ड



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्य प्राप्त
हरावाला, देहरादून - 248001

दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137, ईमेल : uauinfo4@gmail.com

पत्रांक संख्या: 2135 / उ0आ0वि0 / परीक्षा / 2017

दिनांक : 24.10.2017

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0-2017 द्वितीय/अंतिम काउन्सिलिंग विज्ञप्ति

1. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0-2017 की काउन्सिलिंग उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरावाला, देहरादून में आयोजित की जाएगी।
2. द्वितीय काउन्सिलिंग ही अन्तिम चरण की काउन्सिलिंग होगी।
3. ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0-2017 परीक्षा में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित अवधि में अपना आनलाईन पंजीकरण नहीं करवाया गया है, उन्हें एक अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26.10.2017 की प्रातः 09:00 बजे अपरान्ह 12:00 बजे तक off-line registration उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरावाला में कराने का अवसर प्रदान किया जाता है।
4. वाद संख्या 2582 of 2017 के मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल आदेश के क्रम में एक सीट रिक्त रखने का निर्देश दिये गये है।

Isuel
सदस्य सचिव

स्नातकोत्तर काउन्सिलिंग बोर्ड